



2026:AHC:50258

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3385 वर्ष 2026

मनोज कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : लोकेश कुमार द्विवेदी, पीयूष मिश्रा, रजनीश तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार द्विवेदी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसराहा/जोगिया, जिला सिद्धार्थ नगर में एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर इस आधार पर तैनात किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता की पत्नी पहले से ही वहाँ कार्यरत है।
3. इस रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के दावे पर विचार करें।
4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का विनिश्चय सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके साथ रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न हो प्रतिवादी संख्या 2 उक्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः

अनुरूप रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

6. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर वर्तमान में लागू सरकारी आदेशों/नीति के आलोक में विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।